न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्याः— 03/2003/प्रार्थना पत्र 14(4)
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

धनसिंह पुत्र दानसिंह जाति राजपूत निवासी रींगस जिला सीकर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 नियम 14(4) एलआरएक्ट विरूद्व अलाटमेन्ट आदेश दिनांक 15.06.1967 बाबत खसरा नम्बर 239 व 240

वकील अप्रार्थी श्री बजरंगसिंह शेखावत

निर्णय दिनांकः—26.12.2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 15.06.67 को आवंटन कमेटी द्वारा ग्राम सरगोठ के ख0नं0 239 रकबा 3 बीघा एवं ख0नं0 240 में 11 बीघा 10 बिस्वा कुल 14 बीघा 10 बिस्वा का नियमन श्री धनसिंह पुत्र दानसिंह राजपूत निवासी रींगस के हक में किया गया। श्री धनसिंह पुत्र दानसिंह राजपूत निवासी रींगस के नाम से ग्राम सरगोठ व रींगस में 37 बीघा 16 बिस्वा खातेदारी भूमि थी। नियमानुसार उक्त व्यक्ति नियम का पात्र नही था तथा श्री धनसिंह भूमि हीन की श्रेणी मे भी नहीं आता था। उक्त नियमन का नामान्तरकरण संख्या 216 श्री मोतीराम पटवारी ह0 सरगोठ द्वारा दिनांक 29.04.70 को भरा गया एवं श्री संग्रामसिंह भू0अ0नि0 द्वारा दिनांक 30.04.70 को जारी किया गया एवं तत्कालीन सरपंच श्री हरिसिंह द्वारा दिनांक 30.04.70 को तस्दीक किया, जब कि सरपंच नियमन के नामान्तरकरण को तस्दीक करने के लिए अधिकृत नहीं है। श्री हरिसिंह तत्कालीन सरपंच जो कि आवंटन सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। यह जानते हुए भी कि श्री धनसिंह के पास पहले से 37 बीघा 16 बिस्वा भूमि खातेदारी मे है, गलत रूप से नियमन कराया गया। गलत रूप से किया गया नियमन दिनांक 16.06.67 एवं नामान्तरकरण संख्या 216, 345 खारिज योग्य है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि गलत रूप से किया गया नियमन दिनांक 15.06.1967 निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी मालसिंह पुत्र धनसिंह की और से वकील श्री बजरंग सिंह शेखावत ने आवेदन पेश कर अंकित किया है कि धनसिंह पुत्र दानसिंह राजपूत निवासी रींगस का सन् 1978 में ही स्वर्गवास हो चुका है। मृतक के वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। कानूनन मृतक व्यक्ति के विरूद्व कोई कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर, श्रीमाधोपुर के न्यायालय का प्रकरण संख्या 16/95 अनुवानी मालसिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 03.07.1996 की प्रति का अवलोकन किया गया। सहायक कलक्टर, श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.96 में अंकित किया गया है कि "दावा वादी डिक्री किए जाने योग्य पाए जाने पर डिक्री किया जाता है तथा वादी को ग्राम सरगोठ की भूमि खसरा नम्बर 303, 302, 304, 305, 305/3248 कुल किता 5 रकबा 3.68 है0 काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त खसरा नम्बरान की खातेदारी सिवायचक भूमि से हटाई जाकर बहक वादी दर्ज की जाती है इसी भांति

डिक्री मूर्तिब हो।" पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली–भांति अवलोकन करने पर अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के मुताबिक अप्रार्थी धनसिंह की मृत्यु सन् 1978 में हो चुकी है। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अप्रार्थी धनसिंह के पक्ष में किये गये नियमन को निरस्त करवाने बाबत आवेदन सन् 1996 में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार धनसिंह की मृत्यु सन् 1978 में हो जाने से उक्त प्रकरण मृत व्यक्ति के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध सहायक कलक्टर, श्रीमाधोपुर के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.96 के द्वारा विवादग्रस्त आराजियात का अप्रार्थी धनसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। न्यायालय सहायक कलक्टर, श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.96 के द्वारा अप्रार्थी धनसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के पश्चात् उक्त निर्णय के विरूद्ध तहसीलदार द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई अथवा नहीं। इस सम्बंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं ना ही प्रार्थी/तहसीलदार द्वारा आज तक प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रकरण पर गौर किये जाने मात्र से परिलक्षित है कि मृत व्यक्ति के विरूद्ध आवेदन पेश करने एवं विवादग्रस्त आराजियात के बाबत सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर के न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने सम्बंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं करने से यह जाहीर है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण में विधिवत रूप से पैरवी नहीं की जा रही है। मृत व्यक्ति के विरूद्ध आवेदन पेश करने एवं आवश्यक दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि प्रकरण में अप्रार्थी की मृत्यु के सम्बंध में जांच कर उनके वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जावे तथा सहायक कलक्टर, श्रीमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.07.96 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है तो उक्त अपील की वर्तमान स्थिति को मध्यनजर रखते हुए अगर नियमन गलत पाये जाने पर एक माह की अवधि में पुनः आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) सक्षम न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/12/19

(जय प्रकाश)

अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, सीकर